

क्रमांक.....531...../स्था./रा.मा.तो.वि.वि./2024


ग्वालियर, दिनांक 16/07/2024

// आदेश //

म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के पत्र क्रमांक/एफ-6/2017/38-3/भोपाल, दिनांक 14.06.2023 के द्वारा प्रदत्त निर्देश एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अधिसूचना दिनांक 11 अप्रैल, 2023 (छात्रों के शिकायत का निवारण) विनियम 2023 में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर में छात्रों की शिकायतों का निवारण करने के लिये विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 15.07.2024 में पारित अनुमोदन उपरांत श्री रामप्रकाश कतरोलिया (सेवानिवृत्त जिला-न्यायाधीश) को उनके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर में लोकपाल के पद ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि अथवा 70 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो, के लिये नियुक्त किया जाता है।

लोकपाल की सेवा की शर्तें इत्यादि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम, 2023 की कंडिका 06 के प्रावधान के अनुरूप होगी। मानदेय राशि रुपये 3000/- (तीन हजार रुपये मात्र) प्रति सुनवाई दिवस एवं स्थानीय भत्ता विश्वविद्यालय के नियमानुसार देय होगा।

(माननीय कुलपति जी द्वारा अनुमोदित)

  
कुलसचिव

पृ. क्रमांक...../स्था./रा.मा.तो.वि.वि./2024

ग्वालियर, दिनांक /07/2024

प्रतिलिपि:-

1. श्री आर. पी. कतरोलिया (सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश, शीतला गार्डन के पास न्यू सुरेश नगर टाठीपुर, ग्वालियर।
2. निज सहायक के माध्यम से प्रमुख सचिव, म.प्र. राजभवन, भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ।
3. प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. माननीय कुलपति जी, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ।
6. संचालक, संस्कृति संचालनालय, भोपाल।
7. संबंधित पत्रावली।

कुलसचिव